

80G Certificate



सत्यमेव जयते

सी.सं. 19 (40)/कर मुक्ति/देहरादून/2007-08/तक/4107

दिनांक 13/11/09

भारत सरकार
(वित्त मंत्रालय)

कार्यालय आयकर आयुक्त
13-ए, सुभाष रोड, देहरादून

सेवा में,

पुश्कल मूल्य इन्सुल प्रसि०२ रमेश ३२१
पुश्कल जीव पी.ओ. अभावक ५२
देहरादून

विषय : आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अधीन कर मुक्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण।

ज्ञातव्य है कि उपर्युक्त संस्था को आयकर आयुक्त देहरादून/मेरठ ने अपने दिनांक 29-06-06 के आदेश संख्या सी.सं. 19 (12)/कर मुक्ति/दे-३०/०६-०७/2892 द्वारा दिनांक 1-04-06 से दिनांक 31-03-09 तक की अवधि के लिये आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत कर मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया था। अब उक्त प्रमाण-पत्र द्वारा धारा 80जी के अन्तर्गत प्रदान की गई कर मुक्ति को दिनांक 1-04-09 से दिनांक 31-3-12 के लिए एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों पर नवीकृत किया जाता है।

1. आदेश संख्या सी.सं. 25/20/06 दिनांक 29-06-06 में वर्णित सभी शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए।
2. संस्था/न्यास के उद्देश्य, नियमों व संविधान में होने वाले किसी भी संशोधन या परिवर्तन की सूचना इस कार्यालय को परिवर्तन/संशोधन की तिथि से एक सप्ताह के भीतर दी जाए।
3. आय-व्यय के लेखे की प्रति सम्बन्धित आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त/आयकर उपायुक्त के समक्ष प्रति वर्ष प्रस्तुत की जाये।



आर.के. शर्मा

(आर.के. शर्मा)

आयकर आयुक्त
देहरादून

1. आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त/आयकर उपायुक्त/मंड/सर्किल-2 देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर आयुक्त/संयुक्त आयकर आयुक्त रेंज-2 देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य आयकर आयुक्त, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कृते आयुक्त, देहरादून

80G Certificate Renewal:

F.No. CIT/ DDN/Tech./80G/2010-11 /165

Office of the
Commissioner of Income-tax,
Dehradun.

Dated: 13.04.2012

To,

Shri Purukul Youth Development society
Purukul village, P.O Bhagwanpur
Dehradun.


Sir/Madam,

**Sub: Your application dated 07.03.2012 for exemption/renewal of
exemption u/s 80G - regarding-**

Please refer to the above.

2. In this connection, I am directed to state that the approval already granted u/s 80G on 13.07.2009 vide File No C.No.19(40)/Tax Exemption/HDR/2007-08/Tech./4107 for the period 01.04.2009 to 31.03.2012 (which is/was effective on or after 01.10.2009) will be effective continuously until withdrawn for any reason.

Yours Faithfully,


(Arjun Singh)
Income Tax Officer (Tech.)
For Commissioner of Income-tax,
Dehradun